



बेबी रानी मौर्य,  
राज्यपाल, उत्तराखण्ड  
एवं  
कुलाधिपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय,  
नैनीताल।

राजभवन  
उत्तराखण्ड देहरादून

पत्र संख्या : /जी०एस०/शिक्षा C3-7(V)/2019  
देहरादून: दिनांक ०८ मई, २०२०

— आदेश —

एतद्वारा इस सचिवालय के आदेश संख्या 2924/जी०एस०/शिक्षा C3-7(III) दिनांक 14 नवम्बर, 2019 द्वारा कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के कुलपति पद पर की गई अन्तरिम व्यवस्था को अतिक्रमित करते हुए नियमित कुलपति के पद हेतु चयन/सर्व कमेटी की संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-12 (1) के अन्तर्गत कुलाधिपति में निहित शक्तियों के अन्तर्गत प्रो० एन०के० जोशी, म०न०-३३४/५, लेन न०-१३, मोहित नगर, देहरादून को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष या ६५ वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के कुलपति पद पर नियुक्त किया जाता है।

४० —  
बेबी रानी मौर्य  
कुलाधिपति।

संख्या ७३ (१) जी०एस० शिक्षा /C3-7(V)/2019 तददिनांकित।  
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

- 1—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2—अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3—प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
- 4—सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
- 5—प्रो० एन०के० जोशी, म०न०-३३४/५, लेन न०-१३, मोहित नगर, देहरादून।
- 6—प्रो० (डा०) कौ०एस० राणा, २५/१५५, विक्रम विहार-IV, लाजपत नगर, दक्षिण दिल्ली।
- 7—निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल।
- 8—कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 9—कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( बृजेश कुमार संत )  
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।